भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2632

मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बड़े व्यवसायी समूहों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में प्रतियोगिता

2632. श्री सनातन पांडेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ बड़े व्यवसायी समूहों की बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति वाले क्षेत्रों में प्रतियोगिता के स्तर का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी निविदाओं में एमएसएमई और नए लोगों की भागीदारी को सरल बनाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उपायों के परिणाम क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) समय-समय पर एक या अधिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों की बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से बाजार अध्ययन करता है। इन अध्ययनों के माध्यम से सीसीआई बाजार में हो रहे विकास का आकलन करता है, प्रतिस्पर्धा की बदलती स्थितियों पर नज़र रखता है, विशिष्ट व्यावसायिक पद्धतियों को समझता है तथा बाजार की संरचनात्मक विशेषताओं से प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। पूर्व में, सीसीआई द्वारा ई-कॉमर्स, दूरसंचार, कैब एग्रीगेशन तथा आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों/विषयों पर बाजार अध्ययन किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने सरकारी निविदाओं में एमएसएमई तथा नए प्रतिभागियों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति आदेश, 2012 के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से अधिप्राप्ति का लक्ष्य 25% है। 'संबंध' पोर्टल पर

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा संसूचित किए गए अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान सीपीएसई द्वारा एमएसई से की गई खरीद 49.05% रही।

- जीईएम पोर्टल पर एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए जीईएम द्वारा निम्नलिखित उपाय कार्यान्वित किए गए हैं:-

 i. जीईएम का उद्यम डेटाबेस के साथ एकीकरण किया गया है, जिससे विक्रेताओं की एमएसएमई स्थिति का सत्यापन तथा अद्यतन किया जा सके।

 ii. मार्केटप्लेस से प्रत्यक्ष खरीद के मामले में, खरीदारों को ऐसे मार्केटप्लेस फिल्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे एमएसएमई द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे उत्पादों को पहचाना जा सके।

 iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति आदेश, 2012 के अनुरूप, प्रणाली में एमएसई से खरीद के लिए निविदाओं को आरक्षित करने, खरीद वरीयता प्रदान करने तथा बयाना राशि (ईएमडी)/पूर्व अनुभव/कारोबार संबंधी शर्तों में छूट देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
